56

19

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार)
=0=

क्रमांक एफ-8-12/82/का.प्र.सु./1, भोपाल, दिनांक 25 मई 1982

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणी को संसूचित करने एवं उसके विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण करने में अनावश्यक विलम्ब को टालने बावत ।

=0=0=0=0=

शासन के ध्यान में लाया गया है कि गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय होने में अनावश्यक विलम्ब होता है । इस का मुख्य कारण यह बताया गया है कि प्रतिकूलटिप्पणी के विरुद्ध प्राप्त प्रतिवेदनों को जब प्रतिकूल टिप्पणी दर्जकर्ता अधिकारी के पास उनके मत के लिए भेजा जाता है, तब वे अपना मत समयावधि के भीतर नहीं भेजते । इस संबंध में आपका ध्यान सामान्य पुस्तक : परिपत्र भाग-एक- क्रमांक [illegible] की कंडिका (तीन) की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्नानुसार है:-

" प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्राप्त प्रतिवेदनों को जब प्रतिकूल टिप्पणी लिखने वाले अधिकारी के पास उनके मत के लिए भेजा जाता है, तब मत देने वाले अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित प्रतिवेदन पर अपना मत, शासन द्वारा मत प्राप्ति के लिए भेजे गये पत्र की तिथि से, एक माह के भीतर भेज दें । यदि संबंधित अधिकारी किसी कारणवश उत्तर भेजने के लिए कुछ अधिक समय चाहते है तो उन्हें तदनुसार समयावधि के अंदर शासन से प्राप्त कर लेना चाहिये । परन्तु यदि किसी प्रतिवेदन पर बगैर किसी कारण के एक माह के भीतर मत प्राप्त नहीं होता है तो शासन यह समझ लेगा कि

या किसी सारे अधिकारी की संक्षिप्त प्रतिवेदन पर कोई मत नहीं देना ४
और शासन तब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के संक्षिप्त प्रतिवेदन
पर नियमानुसार आगे कार्यवाई कर सकेगा ।"

2/ उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्देश दिये जाते
है कि यदि उक्तानुसार वांछित मत एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है
तो प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण गुणदोष के आधार पर शीघ्र किया जावे ।
इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

(इन्दिरा मिश्र)
विशेष सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मई 1982

पृ.क्रं एफ 8-12/82/का.प्र.सु./1

प्रतिलिपि:-

1- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

2- राज्यपाल के सचिव/ सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल,
सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,

3- अ.स.(स्थापना), अधीक्षण, अभिलेख, लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए अग्रेषित ।

(आर.एन.वाजपेयी)
उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

सोसि/24582/-

मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रं०एफ 5-5/90/9/49,

प्रति, भोपाल, दिनांक 20 नवंबर, 1990

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म० प्र० ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण ।

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि प्रतिकूल टीकाओं के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिकूल टीपकर्ता अधिकारी का मत निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने के कारण प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है । इस संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 की कंडिका (तीन) एवं इस विभाग के ज्ञापन क्रं०एफ 8-12/82/काप्रसु/1, दिनांक 25 मई, 1982 में यह निर्देश दिये गये है कि प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिकूल टीपकर्ता अधिकारी को अपना मत शासन द्वारा मत प्राप्ति के लिये भेजे गये पत्र की तिथि से, एक माह के भीतर भेज दे[illegible] चाहिये । यदि सं[illegible]त अधिकारी किसी कारणवश उत्तर भेजने के लिये कुछ अधिक समय चाहते हैं तो उन्हें तद्नुसार समयावधि के आदेश शासन से प्राप्त कर लेना चाहिये । परंतु यदि किसीअभ्यावेदन पर बगैर किसी कारण के एक माह के भीतर मत प्राप्त नहीं होता तो शासन यह समझ लेगा कि मत भेजने वाले अधिकारी को संबंधित अभ्यावेदनपर कोई मत नहीं देना है और शासन तब अभ्यावेदनप्रस्तुत करने वाले अधिकारी के संबंधित अभ्यावेदन पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर सकेगा । परंतु यह देखा गया है कि अधिकांश विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही न करने के कारण ऐसे प्रकरण के निपटारे में विलंब होता है ।

[illegible]

तो प्रतिकूल टीकाओं के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन का निराकरण गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र किया जाय । कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय ।

(स्टीफन खलखो)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार एवं प्रशि. विभाग

पृ. क्रं. एफ 5-5/90/9/49,

दिनांक 2.. नवम्बर, 1990

प्रतिलिपि :-

1) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर ।

---

2) राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल
सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल
सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल ।

---

3) अवर सचिव (स्थापना), अधीक्षण, अभिलेख, लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित ।

(स्टीफन खलखो)
अवर सचिव

राजेश/